संख्या-34/2024/2248/001-1389-2024-23-10-25-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर पूर्व निर्मित ब्रिटिश कालीन पक्के पुल (लालपुल) के समीप दोनों तरफ बन्धों के बीच पूर्व निर्मित आर्च सेतु की भांति 04 लेन आर्च सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-468/ नदी सेतु/लखनऊ-गोमती नदी/बी०एम०सी०/24-25, दिनांक 23.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर पूर्व निर्मित ब्रिटिश कालीन पक्के पुल (लालपुल) के समीप दोनों तरफ बन्धों के बीच पूर्व निर्मित आर्च सेतु की भांति 04 लेन आर्च सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 9289.41 लाख (रूपये बानबे करोड़ नवासी लाख इक्तालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57 से रू0 2561.69 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 689.60 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 3251.29 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ इक्यावन लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर पूर्व निर्मित ब्रिटिश कालीन पक्के पुल (लालपुल) के समीप दोनों तरफ बन्धों के बीच पूर्व निर्मित आर्च सेतु की भांति 04 लेन आर्च सेतु एवं पहुच मार्ग के निर्माण कार्य।	9289.41	2561.69	689.60	3251.29	सेतु निगम
		योग:-	9289.41	2561.69	689.60	3251.29	

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिवन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरांत इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुये 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये, अन्यथा की स्थिति में पुनर ति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यप वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यगदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफिटंग के अंतर्गत विद्युत विभाग हेतु रू0 875.45 लाख, वन विभाग हेतु रू0 37.94 लाख एवं जलकल विभाग हेतु रू0 138.49 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से यूटीलिटी शिफिटंग के प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत विवरण के आधार पर Verification and revalidation कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार यूटीलिटी शिफिटंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। विद्युत विभाग की शिफिटंग का कार्य एन०एच०ए० आई० के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (3780.00 व०मी०) की लागत रू० 929.88 लाख का प्रावधान किया गया है। विभागाध्यक्ष द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुये न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजना का निर्माण आई०आर०सी० के सुसंगत मानको के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/ कार्यदायी संस्था का है।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(14) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया सेतु निर्माण की लम्बाई लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल एबेटमेंट आदि में परिवर्धन / परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप एवं डिजाइन में परिवर्तन इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) अधिष्ठान व्यय सेन्टेज वार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं० ए०-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि० 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्याश-ए०-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि० 11.11.2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष/संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी।

(16) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(17) मूल्य द्वास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी ।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(20) विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(21) विभागाध्यक्ष, तो०नि०वि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

(22) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं० 1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 25,61,69,000 (रुपये पच्चीस करोड़ इकसठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010405 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 6,89,60,000 (रुपये छह करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047890405 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-386-X-2024-25 दिनांक :20-11-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनुसचिव ।

संख्या-34/2024/2248(1)/001-1389-2024-23-10-25-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- बजट आवंटन अधिकारी, लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in